(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/3927 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 45/अपील/14-15.

रामकिशोर वल्द स्व. नानकराम,
निवासी अंधारिया, तहसील आमला
जिला बैतूल, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, आमला के समक्ष हल्का पटवारी क्रमांक 09 ग्राम अंधारिया के द्वारा भूमि सर्वे नम्बर 132, 132/1 रकबा 0.186, 0.404 जो कि

शासकीय अभिलेख खसरा पांच साल में छोटे झाड़ का जंगल/रास्ता मद में दर्ज है। उक्त रकबे में से 0.04, 0.06 कुल 0.10 डेसमिल पर पक्का मकान बनाकर आवेदक श्री रामकिशोर आ. स्व. श्री नानकराम द्वारा अतिक्रमण किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-68/2011-12 दर्ज कर आवेदक श्री रामकिशोर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लिखित जवाब दिनांक 13.04.2012 को प्राप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.04.2012 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 248 के तहत आवेदक के विरूद्ध रूपये 1500/- का अर्थदण्ड आरोपित कर प्रश्नाधीन भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये गये, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.2013 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 17.08.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में संहिता की धारा 248 के प्रावधानों की घोर उपेक्षा कर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोर उपेक्षा कर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब को बिना देखे, बिना पढ़े आवेदक द्वारा अतिक्रमण स्वीकार करना लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में संहिता के प्रावधानों, विधि एवं प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि की है, सबब आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है।

(2) तहसीलदार द्वारा अनावेदक की अतिक्रमण अस्वीकारोक्ति को स्वीकारोक्ति दर्शाया है। तथाकथित अतिक्रमण प्रतिवेदन आवेदक के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पटवारी हल्का द्वारा आवेदक के समक्ष शासकीय भूमि- आवेदक की भूमि स्वामी हक भूमि जिस पर आवेदक का मकान बना हुआ है। ऐसे सभी अभिवचनों के बाद न तो पटवारी हल्का से अतिक्रमण बावत् कोई सीमांकन से संबंधित दस्तावेज तलब कराये, न ही प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई, न ही आवेदक को पटवारी हल्का के

प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर दिया गया और न ही आवेदक को अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस प्रकार संहिता की धारा 248 के अवश्य पालनीय सिद्धांतों एवं नियमों, जिनका पालन आदेश पारित करने के पूर्व किया जाना Mendetory Provision है, को न करते हुए विधि एवं संहिता के प्रावधानों की घोर उपेक्षा कर आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं प्रक्रिया की गंभीर भूल की गई है, सबब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया तथा संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(3) पटवारी हल्का का पूर्वाग्रह इसी तथ्य से दर्शित होता है कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत अतिक्रमण प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा 0.10 हैक्टेयर अर्थात् लगभग 1100 वर्गफुट भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण होना दर्शाया है, जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन में अतिक्रमण 175 वर्गफुट ही रह जाता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत असत्य एवं झूठे प्रतिवेदन के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधिकारिता रहित आदेश किसी भी समय आक्षिप्त किया जा सकता है। अधिकारिता का प्रश्न कार्यवाहियों के किसी भी प्रकार पर उठाया जा सकता है। यदि अधिनियमित में कतिपय कार्य करने की प्रणाली विहित है, इसे उसी रीति में किया जाना होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के समान अधिकारिता प्रयोग कर आदेश पारित करने में विधि एवं संहिता के प्रावधानों की घोर उपेक्षा कर आदेश पारित किया है। उक्त आदेश को अपास्त नहीं कर अपील अस्वीकार करने में आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 248 के प्रावधानों की घोर उपेक्षा कर आदेश पारित किया है, सबब निरस्ती योग्य है।

(5) आवेदक के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल अधिकारिता के न्यायालय तहसील न्यायालय के रूप में अपील की आदेश पत्रिका दिनांक 07.12.2012 के अनुसार संहिता की धारा 248 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसकी उन्हें अधिकारिता नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.2013 में बेदखली का आदेश

तथा अर्थदण्ड का आदेश पारित कर 7 दिवस में आधिपत्य छोड़ने का आदेश पारित किया है, जिसकी उन्हें संहिता की धारा 248 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत कोई अधिकारिता नहीं है। इस बिंदु को भी मौखिक तर्क में रखने के बावजूद आयुक्त द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपील अस्वीकार कर दी गई है, सबब आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 30.11.2012 में हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कथन देने का असत्य एवं निराधार उल्लेख किया है। उक्त दिनांक की आदेश पत्रिका में पटवारी हल्का की उपस्थिति के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही पटवारी का कोई साक्ष्य कथन प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेख पर है। पटवारी की कोई साक्ष्य आवेदक के समक्ष न तो हुई और न ही उसे प्रतिपरीक्षण करने का मौका दिया गया। संहिता की धारा 248 के वर्ष 2011 से प्रभावशील संशोधन के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी को अर्थदण्ड की राशि में वृद्धि करते हुए 48780/- रूपये अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकारिता रहित आदेश दिया, इस आधार को भी द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष मौखिक तर्क के दौरान उठाये जाने के बावजूद विधिक स्थिति की घोर उपेक्षा कर द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कब्जा बताया गया था, इसी आधार पर निचले सभी न्यायालयों ने इसके विरूद्ध आदेश पारित किये हैं। अब आवेदक ने दिनांक 06.01.2018 में कराये सीमांकन की प्रति पेश की है, जिसमें आवेदक का मकान उसी की जमीन में बताया गया है। उसके प्रकाश में उसके विरूद्ध कार्यवाही पर पुनर्विचार जरूरी है। अतः निम्न न्यायालयों के सभी आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाना आवश्यक है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद का आदेश दिनांक 17.08.2017, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.06.2013 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 20.04.2012 निरस्त किये जाते हैं। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसीलदार को पुन: सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर